न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 94 / 2019

प्रार्थीनी–

सुगनीदेवी पुत्री श्री रामजीवण,
जाति ब्राहम्ण, निवासी चून्दिया, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. गुदडमल पुत्र श्री रामजीवण
2. ताराचन्द्र पुत्र श्री रामजीवण
3. कन्हैयालाल पुत्र श्री चेतनप्रसाद
   जाति ब्राहम्ण, निवासी चून्दिया तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
4. इन्द्रादेवी पुत्री श्री चेतनप्रसाद पत्नी नेमीचन्द निवासी चून्दिया हाल पानीपुरी वाले महाराज, सुरसागर चौराया के पास सुरसागर जोधपुर
5. अन्नुदेवी पुत्री श्री चेतनप्रसाद पत्नी रामस्वरूप सारस्वत निवासी चून्दिया हाल पानीपुरी वाले महाराज, हड़मान चौक राणीप्रताप मार्केट के सामने गुढामालानी जिला बाड़मेर
6. अयोध्या पत्नी श्री रतनलाल निवासी चून्दिया हाल निवासी वार्ड नं. 18 खतरी कॉलोनी बालोतरा
7. महावीर पुत्र श्री रतनलाल निवासी चून्दिया हाल निवासी वार्ड नं. 18 खतरी कॉलोनी बालोतरा
8. राजकुमार उर्फ राजेन्द्र पुत्र श्री रतनलाल निवासी चून्दिया हाल निवासी वार्ड नं. 18 खतरी कॉलोनी बालोतरा
9. बाबूलाल उर्फ देवीलाल पुत्र श्री रतनलाल निवासी चून्दिया हाल निवासी वार्ड नं. 18 खतरी कॉलोनी बालोतरा
10. सीताराम पुत्र श्री सोनराज निवासी नेणावता की पोल मेड़ता सिटी तहसील मेड़ता
11. राजु पुत्र श्री सोनराज निवासी मकान नं. 94 वर्गी कॉलोनी माहेश्वरी भवन के पास मसुरिया जोधपुर
12. धर्मीचन्द पुत्र श्री सोनराज निवासी मकान नं. 94 वर्गी कॉलोनी माहेश्वरी भवन के पास मसुरिया जोधपुर
13. गणपत पुत्र श्री सुखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी चून्दिया तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
14. तहसीलदार, रियांबड़ी
15. पटवारी हल्का, चून्दिया
16. उपं पंजीयक रियांबड़ी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान –काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 07/11/24

श्रीमान जी, प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

1. यह है कि प्रार्थीनी ने माननीय न्यायालय में अनुवान सदर का एक वाद प्रस्तुत किया है, जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर है तथा प्रार्थनी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी आशा है।

2. यह है कि प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 हिन्दू मिताक्षरा कानून से गवर्न होते है सभी रामजीवण के वारिसान है।

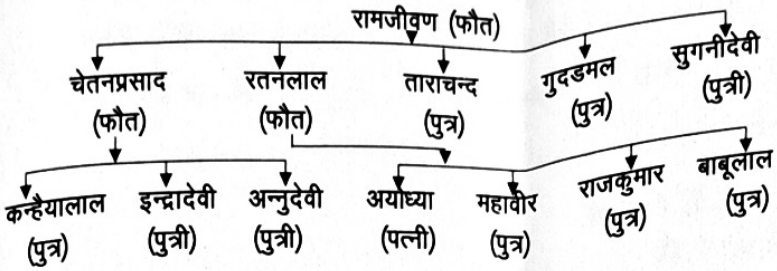

3. यह है कि ग्राम चून्दिया की सरहद में खेत खसरा नम्बर 238 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 724 रकबा 1.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 963 रकबा 1.3000 हैक्टेयर कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 114 रकबा 0.0200 हैक्टेयर प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण 1 से 13 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद है उक्त भूमि विवादित खसरान के नाम से संबोधित की गई है।

4. यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पुर्व में प्रार्थीनी के पिता रामजीवण के खातेदारी काश्त कब्जासुद थी उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई । उक्त भूमि पैतृक है प्रार्थीनी का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक 1/5 हिस्सा, अप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थीगण संख्या 6 से 9 का 1/5 हिस्सा और खसरा नम्बर 114 में प्रार्थीनी का 1/20 हिस्सा संयुक्त काश्त कब्जा है अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व चेतनप्रसाद व रतनलाल ने फौतकी म्युटेशन केवल अपने नाम ही भरवाया है प्रार्थीनी का नाम दर्ज नहीं करवाया है वादग्रस्त खसरान में अभी बंटवाड़ा नहीं हुआ है बटवाड़ा संयुक्त काश्त कब्जा है विवादित खसरा में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 बैचने पर आमादा है प्रार्थीनी को काश्त नहीं करने दे रहे है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है सुविधा का संतुलन व अपूर्णय क्षति प्रार्थीनी को हो रही है। इस प्रकार प्रार्थीनी ने वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थीनी का कोई मौके पर कब्जा नहीं है आज से करीब 70 वर्ष पूर्व रामजीवणजी का देहांत हुआ व फौतगी म्युटेशन भरा गया उस समय पुत्रीयों का म्युटेशन नहीं भरा जाता था। प्रार्थीनी का शादी, ब्याव मायरा व पहराणी आदि में जेवरात, कपड़ा आदि खर्चे किया है उसके तहत प्रार्थीनी ने अपना कोई बंट नहीं रखा है बहकावट में आकर यह दावा पेश किया है जवाब देहिंदा रेकोडर्ड खातेदार है प्रार्थीनी का कोई काश्त कब्जा नहीं है इसलिए प्रार्थीनी कोई खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीनी का प्रकरण मजबुत बिनाय पर आधारित नहीं है जिसे प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीनी विधिक पुत्री है जिससे वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है वरना व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढेगी जिसे वाद के ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा को पुख्ता किया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थीनी का कोई हक हकूक नहीं है अप्रार्थीगण रेर्कोडर्ड खातेदार है एवं रेर्कोडर्ड खातेदारी के विरूध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

वकुलाय की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया । उपरोक्त वादग्रस्त खसरान में प्रार्थिनी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है जो उचित नही है। इसलिये प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 04.08.2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी